Working group on investment promotion strategies

3952. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have set up a working group to go into various issues on 'rationalisation and harmonisation' of investment strategies;

(b) whether the Group will be represented by various States and concerned institutions also;

(c) if so, what will be the main objective of the working group; and

(d) what are the main issues that will be considered by the Group; and

(e) by when the working group is likely to submit its recommendations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (e) The Government has constituted a Working Group under the Chairmanship of Additional Secretary, Department of Industrial Development and consisting of Industries Secretaries of select states on 17th February, 1994 to suggest strategies relating to investment promotion measures keeping in view the specific requirements of State Governments. The Working Group will examine :

(i) options of working out modalities which would ensure a more cost effective utilisation of the limited resources available with the States and Centre, simultaneously taking care of the legitimate aspirations of the relatively backward States; and

(ii) Issues relating to rationalisation and harmonisation of policies and incentives for promotion of industries keeping in view the specific requirement of State Governments.

The Working Group is expected to submit its report within three months.

गुजरात में स्थापित लघु उद्योग

3953. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय जिलेवार कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन उद्योगों में मासिक और दैनिक वेतन पर कितने-कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) उनके उत्पादों के विपणन हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या उनमें से कुछ उद्योग रुग्ण होते जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31-12-1992 को लघु उद्योग विकास संगठन (सीडी) के क्षेत्राधिकार में आने वाली 94,879 लघु इकाइयों को स्थायी आधार पर पंजीकृत किया गया था । इन इकाइयों के जिलेवार ब्यौरे विवरण I में दिये गये हैं ।

(ख) इन उद्योगों में मासिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर इस समय कार्य कर रहे कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, 1989—91 के दौरान विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा की गई लघु औद्योगिक इकाइयों की द्वितीय अखिल भारतीय गणना की रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार, उपलब्ध आंकड़े विवरण-II में दिये गये हैं जिसका आधार वर्ष 1987-88 है ।

(ग) विपणन मुख्यतया एक उद्यमिता कार्य है । तथापि, लघु उद्योग के कमजोर आधार पर विचार करते हुए 409 मदों को केवल सरकारी भंडार खरीद कार्यक्रम के तहत खरीदने के लिए आरक्षित किया गया है और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों को एक ही स्थान पर पंजीकरण योजना के तहत निम्नलिखित विशेष सुविधाएं दी गयीं हैं :—

(1) निःशुल्क टेंडर सेट जारी करना ।

(2) बयाना राशि के भुगतान की छूट ।

(3) जिस आर्थिक सीमा तक उतनी इकाई पंजीकृत है उतनी राशि तक सिक्युरिटी डिपाजिट की छूट ।

(4) बड़ी औद्योगिक इकाइयों के कोटेशनों की तुलना में गुणदोष के आधार पर 15% तक मूल्य वरीयता ।

गुजरात सरकार सहित राज्य सरकारें अपने-अपने नीतिगत उपायों के अनुसार राज्य खरीद कार्यक्रम के तहत उनके उत्पादों को बेचने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों की सहायता करते हैं ।

(घ) जी, हां । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, गुजरात में मार्च, 1992 के अंत तक 6581 रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयां थी ।

(ङ) राज्य स्तरीय अंतर-संस्थागत समिति और राज्य स्तरीय पुर्नस्थापना समिति के माध्यम से जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के